powers to the Regional Offices of the Ministry to finally dispose of cases of small diversion of forest land nder the Forest (Conservation) Act, 1980.

Walkie-Talkie sets for Forest Officials

1899. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide walkie-talkie sets to forest officials;

(b) if so, the details of the scheme and by when it is likely to become effective;

(c) the considerations which have necessitated the measure;

(d) what advantages are likely to accure therefrom; and

(e) what amount is expected to be spent on the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Central Government are providing financial assistance to the Union Territories and State Firest Departments for equipping their field staff with walkie-Talkie/wireless sets under tht Centeally Sponsored Scheme—"Development of Infrastructure for protection of forests from biotic inferference".

(b) This ongoing scheme is operative since 1986-87. Under this scheme 50 per cent cost is borne by the State Governments for selected non-recurring items such as vehicles, walkie-talkie/wireless sets, firearms, and also fencing material.

(c) The main consideration has been to assist the State Governments in their endeavour to protec the forest wealth from anti-social elements.

(d) It enables the State Forest Departments for better and effective mode of communication in apprehending the culprits and seizure of stolan forest wealth.

(e) In 1991-92, a provision of Rs. 300 lakhs have been made under this scheme.

धौलपुर में ताप विद्युत संयंत्र

1900. **डा० अबरार अहमद** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान स्थित धौलपुर में एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसको मंजूरी प्रदान किए जाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ग) ताजमहल तथा प्रस्तावित ताप संयंत्र के बीच कितनी दूरी है और क्या इस परियोजना से ताजमहल पर किसी तरह का प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ताजमहल को बचाने के लिए परियोजना स्थल के स्थानान्तरण सहित और क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है †

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित स्थल धौलपुर शहर, नेशनल चम्बल सैंचुरी और वन विहार अभयारण्य और वनों के नजदीक है और ताजमहल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) परियोजना प्राधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ताजमहल और प्रस्तावित स्थल के बीच लगभग 65 कि०मी० की दूरी है।

भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने प्रस्तावित बिजली घर के कारण ताज पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में आशंका व्यक्त की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को ताजमहल पर पड़ने वाले किसी संभावित प्रतिकूल प्रभाव की जांच करने की सलाह दी गई थी ।

(घ) प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र के स्थान निर्धारण तथा संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय ले लिए जाने के बाद पर्यावरणीय मुल्यांकन समिति द्वारा निकट भविष्य में स्थल निरीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है ।

Allotment of Forest Land

1901. SHRI A. G. KULKARNI:
SHRI BAPU KALDATE:
SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news time which appeared in the 'Maharashtra Times', Bombay of the 28th September, 1991 regarding allotment of forest land of 3 Hectares to a private person without the approval of the Central Government;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) whether it is a fact that Government have given its concurrence to the No objection certificate issued by the State Government; if so, what art the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The State Government of Maharashtra has accorded its sanction to aloot 3 hectares of land handed over to Forest Department for compensatory afforestation to a private party i.e. M/s. Jaiquell Farms Private Limited for the purpose of raising Lahori Birds. However, the possession of the land has not yet been handed over by the State Government.

(c) No, Sir.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन

1902. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 31 अक्तूबर, 1991 तक ऐसे कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये, जिन्होंने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन किया ; और

(ख) इस संबंध में दिये गये दण्ड के ब्यौरे सहित इन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) इस अवधि के दौरान, ऐसे आठ उद्योगों के विरुद्ध मुकदमें चलाए गए, जिन्होंने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों का पालन नहीं किया । अभी तक किसी को कोई दण्ड नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

1903. **मोलाना अबदुल्ला खान आजमी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में वृक्ष नहीं लगाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्षारोपण भी शामिल है, एक